

नागरिक चार्टर
CITIZEN'S CHARTER



परिवहन विभाग
उत्तराखण्ड सरकार |

नागरिक चार्टर (Citizen's Charter)

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	हमारी संकल्पना	1
2	विहंगम दृष्टि	1-2
3	हमारा उत्तरदायित्व	2
4	हमारे कार्य	2-3
5	नागरिकों से विभाग की अपेक्षा	3
6	जनता से सम्पर्क	3-6
7	मोटर यान दुर्घटना राहत सेवा योजना	6-7
8	विभागीय कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकताएं एवं देय शुल्क का विवरण	7-9
9	सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाएं	9-12
10	विभाग द्वारा संचालित पोर्टल तथा प्रदत्त आनलाइन सेवाएं	12-14
11	आनलाइन सेवाओं हेतु कार्य प्रवाह	14-31

नागरिक चार्टर परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

हमारी संकल्पना

भौगोलिक दृष्टि से पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य में सड़क परिवहन ही यातायात का मुख्य साधन है। विश्व प्रसिद्ध चार धाम, पावन तीर्थ हरिद्वार एवं ऋषिकेश इसी राज्य में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात मसूरी एवं नैनीताल पर्यटन स्थल देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अतः राज्य में स्थानीय यातायात के अतिरिक्त देश-विदेश से भी तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों का आवागमन वर्ष भर बना रहता है। परिवहन विभाग यात्रियों को सुलभ, आरामदायक एवं सुरक्षित यातायात के साधन उपलब्ध कराने के लिये सतत् प्रयत्नशील है।

परिवहन विभाग का यह संकल्प है कि:-

- राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करना।
- सभी मार्गों पर यातायात के समुचित साधन उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक आवेदक को त्वरित दक्ष एवं मैत्रीपूर्ण सेवा प्रदान करना।
- विभाग में प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण।
- विभाग की सेवाएं प्रत्येक जनपद में उपलब्ध कराना।
- सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए विभागीय सूचनाओं की जन-जन तक उपलब्धता।

विहंगम दृष्टि

- राज्य में दुर्घटना की रोकथाम हेतु चालकों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिये पुनश्चर्या / Refresher प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन।
- लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों की परीक्षा हेतु ऑटोमेटिड ड्राईविंग ट्रेस्टिंग ट्रैक्स (ADTT) की स्थापना।
- तकनीकी खराबी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में ऑटोमेटिड टैस्ट स्टेशन (ATS) की स्थापना।

- प्रवर्तन कार्य के सुदृढ़ीकरण हेतु इंटेलिजेन्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (IMS) की स्थापना।
- प्रत्येक जनपद में परिवहन विभाग के कार्यालयों की स्थापना।
- परिवहन विभाग के सभी कार्यालय राजकीय भवनों में स्थापित करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं जनता को त्वरित सेवा प्रदान करने हेतु विभाग का कम्प्यूटरीकरण।
- अन्तर्राज्यीय मार्गों पर यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्य राज्यों के साथ परिवहन करार।

हमारा उत्तरदायित्व

- मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) का क्रियान्वयन।
- उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 का क्रियान्वयन।
- उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 का क्रियान्वयन।
- विभाग के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति करना।
- प्रवर्तन द्वारा वाहनों के अवैध संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना।
- मार्गों पर आवश्यकतानुरूप परिवहन सुविधा प्रदान किया जाना।
- सड़क सुरक्षा सम्बन्धी उपाय करना।

हमारे कार्य

परिवहन विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करता है।

- वाहनों का पंजीयन करना।
- वाहनों का तकनीकी निरीक्षण कर स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी करना।
- चालकों एवं परिचालकों को चालक / परिचालक लाईसेन्स जारी करना।
- व्यवसायिक वाहनों को स्टेज कैरेज, कान्ट्रैक्ट कैरेज, मालयान परमिट जारी करना।
- निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व अर्जन की कार्यवाही करना।
- अनाधिकृत, कर अपवंचना एवं नियम विरुद्ध संचालित वाहनों की रोकथाम हेतु प्रवर्तन दलों के माध्यम से प्रवर्तन की कार्यवाही।
- सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग से वाहन स्वामियों/वाहन चालकों को त्वरित सेवा प्रदान करना।

- चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण स्कूलों को मान्यता प्रदान करना।
- वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में जॉच हेतु निजी क्षेत्र में प्रदूषण जॉच केन्द्रों को मान्यता प्रदान करना।
- सार्वजनिक सेवा यानों की दुर्घटना की दशा में मृतक आश्रितों/घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- राज्य में स्थित पर्यटक स्थलों, विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा मार्गों का सर्वेक्षण/दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।
- अन्तर्राज्यीय निर्बाध परिवहन के दृष्टिगत अन्य राज्य सरकारों से परिवहन सम्बन्धी समझौता करना।
- सरकारी वाहनों के क्रय/रख—रखाव का नियमन करना।
- सरकारी विभागों की वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य करना।

नागरिकों से विभाग की अपेक्षा

- आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु यह आवश्यक है कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आनलाईन प्रस्तुत किये जाएं तथा समस्त आवश्यक अभिलेख अपलोड किए जाएं।
- आयु एवं पते के प्रमाणपत्र पठनीय एवं सही प्रस्तुत किए जाएं।
- देयकों का समय से भुगतान किया जाए।
- विभागीय कार्यों हेतु आनलाईन प्रक्रियाओं का उपयोग स्वयं अथवा जन सुविधा केन्द्रों (CSC) के माध्यम से करें।
- यातायात के नियमों का पालन करें और राज्य को दुर्घटना शून्य राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें।

जनता से सम्पर्क

- परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण सूचनाएं जनता के अवलोकनार्थ विभागीय वैबसाईट <https://transport.uk.gov.in> पर उपलब्ध है।
- वैबसाईट के अन्तर्गत परिवहन विभाग के कार्यों यथा—वाहनों का पंजीयन, चालक लाईसेन्स, परमिट, प्रशमन शुल्क, प्रदूषण जॉच केन्द्र, कर ढाँचा, चारधाम यात्रा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियों उपलब्ध करायी गयी है।

- परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ऑनलाईन माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।
- विभाग द्वारा चालक लाईसेन्स सम्बन्धी शत-प्रतिशत सेवाओं को ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
- वाहन सम्बन्धित सेवाओं यथा—वाहनों का पंजीयन, स्वामित्व अन्तरण, डुप्लीकेट, आर0सी0, पता परिवर्तन, हाईपोथिकेशन, फिटनेस, परमिट, कर जमा करना, डीलरों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी सभी सवायें ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।
- इसके अतिरिक्त चारधाम यात्रा हेतु ग्रीनकार्ड एवं ट्रिपकार्ड आदि से सम्बन्धित सभी सेवायें ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।
- परिवहन विभाग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सुझाव अथवा शिकायत परिवहन विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों में प्रेषित किए जा सकते हैं:—

कार्यालय	सम्पर्क अधिकारी	दूरभाष संख्या	ई-मेल
परिवहन आयुक्त कार्यालय	परिवहन आयुक्त	0135-2608105	tc-trans-uk@nic.in transportdeptuk@gmail.com
	संयुक्त परिवहन आयुक्त	2608106	
	उप परिवहन आयुक्त	2608107	
	सहायक परिवहन आयुक्त		

सम्भागीय परिवहन कार्यालय

देहरादून	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	0135-2743432	rtodeh-trans-uk@nic.in
सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	rtoedeh-trans@uk.gov.in		
सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	artoadeh-trans-uk@nic.in		
सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	artoedeh-trans-uk@nic.in		
पौड़ी	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	01368-223003	rtopau-trans-uk@nic.in
	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)		rtoepau-trans@uk.gov.in
	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)		artoapau-trans-uk@nic.in
	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)		artoepau-trans-uk@nic.in

हल्द्वानी	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	05946-260207	rtohal-trans-uk@nic.in
	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)		rtoehal-trans@uk.gov.in
	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)		artoahal-trans-uk@nic.in
	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)		artoehal-trans-uk@nic.in
अल्मोड़ा	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	05962-254009	rtoalm-trans-uk@nic.in
	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)		rtoealm-trans@uk.gov.in
	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)		artoaalm-trans-uk@nic.in
	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)		artoealm-trans-uk@nic.in
उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी			
हरिद्वार	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	01334-239767	artohar-trans-uk@nic.in
ऋषिकेश	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	0135-2430623	artoris-trans-uk@nic.in
ठिहरी	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	01376-233623	artoteh-trans-uk@nic.in
उत्तरकाशी	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	01374-211174	artoutt-trans-uk@nic.in
कर्णप्रयाग	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	01363-241568	artokar-trans-uk@nic.in
रुद्रप्रयाग	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	01364-233914	artorud-trans-uk@nic.in
कोटद्वार	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	01382-229412	artokot-trans-uk@nic.in
रुद्रप्रयाग	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	01364-233914	artorud-trans-uk@nic.in
उधमसिंह नगर	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	05944-250633	artoausn-trans-uk@nic.in
	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)		artoeusn-trans-uk@nic.in

टनकपुर	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	05943-266498	artochp-trans-uk@nic.in
बागेश्वर	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	05963-220099	artobag-trans-uk@nic.in
पिथौरागढ़	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	05964-228222	artopit-trans-uk@nic.in
रुडकी	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	01332-276767	artorrk-trans-uk@gov.in artorrk@gmail.com
	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)		
विकासनगर	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	01360-224004	artovks-trans-uk@gov.in
	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)		
काशीपुर	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	05962-254009	artokas-usn-uk@nic.in
रामनगर	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	-	artoramnagar@gmail.com
रानीखेत	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	-	artoranikhet@gmail.com
चम्पावत	सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	-	artochp-trans-uk@nic.in

मोटर यान दुर्घटना राहत सेवा योजना

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यानों से सम्बन्धित यात्रियों की दुर्घटना की स्थिति में मृतक आन्त्रित एवं घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सड़क परिवहन एवं दुर्घटना राहत निधि नियमावली प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में की गयी व्यवस्थानुसार राहत राशि परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों के माध्यम से आवंटित की जाती है। सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि के अन्तर्गत देय राहत राशि का विवरण निम्नवत है:—

क्रम संख्या	दुर्घटना/क्षति का विवरण	देय राहत की धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1	दुर्घटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर	2,00,000
2	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, जबकि प्रभावित यात्री/अन्य व्यक्ति, ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन, उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक हो। इसमें निम्नलिखित मामलों भी सम्मिलित हैं— (अ) दो अंगों की पूर्ण हानि (ब) दोनों नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि	1,00,000
3	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, यथा— (अ) ऊपर एक पैर की हानि	40,000

- (ब) एक नेत्र की हानि
 (स) दोनों कानों के सुनने की हानि
 (द) दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि
 (य) यदि घायल व्यक्तियों को 20 दिवस अथवा अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पड़े
- 4 दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में
 (क्रमांक 2 एवं 3 से भिन्न मामलों में)

10000

विभागीय कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकताएं एवं देय शुल्क का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निर्धारित शुल्क (रूपये में)
1	2	4
1	वाहन का पंजीयन	1 अशक्त यात्री वाहन 50 2 मोटर साइकिल— (1) नया रजिस्ट्रीकरण 300 (2) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण 1000 3 तीन पहिया / क्वाड्रीसाइकल (1) नया रजिस्ट्रीकरण 600 (2) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण 2500 4 हल्का मोटरयान— (1) नया रजिस्ट्रीकरण 600 (2) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण 5000 5 मध्यम मालयान / यात्री वाहन 1000 6 भारी मालयान / यात्री वाहन 1500 7 आयतित वाहन (दो या तीन पहिया वाले) (1) नया रजिस्ट्रीकरण 2500 (2) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण 10000 8 आयतित वाहन (चार या अधिक पहिया वाले) (1) नया रजिस्ट्रीकरण 5000 (2) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण 40000 9 कोई अन्य वाहन जो ऊपर वर्णित नहीं है (1) नया रजिस्ट्रीकरण 3000 (2) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण 6000
2	वाहन का स्वामित्व अंतरण	क्रमांक 01 पर उल्लिखित फीस की आधी (वाहन के वर्ग के अनुसार)
3	पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति	क्रमांक 01 पर उल्लिखित फीस की आधी (वाहन के वर्ग के अनुसार)
4	प्रत्येक वर्ग के यान के लिए नौसिखिया चालन अनुज्ञाप्ति जारी करने के संबंध में	150
5	यथास्थिति, नौसिखिया शिक्षार्थी अनुज्ञाप्ति परीक्षण फीस या परीक्षण की पुनरावृत्ति फीस	50

6	चलाने की क्षमता के लिए, यथास्थिति, परीक्षण या परीक्षण की पुनरावृत्ति के लिए (प्रत्येक वर्ग के यान को)		300
7	चलन अनुज्ञाप्ति जारी करने के लिए		200
8	चालन अनुज्ञाप्ति में यानों के अन्य वर्ग को जोड़ने के लिए		500
9	चालन अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिए		200
10	लाइसेंस का नवीनीकरण		200
11	फिटनेस प्रमाण पत्र अनुदत्त करने या उसका नवीकरण करने के लिस किसी यान का परीक्षण का संचालन	(क) मोटर साइकिल – (ख) तिपहिया या हल्के मोटरयान या चौपहिया साइकिल— (ग) मध्यम या भारी मोटरयान—	हस्तचालित: 200 स्वचालित: 400 हस्तचालित: 400 स्वचालित: 600 हस्तचालित: 600 स्वचालित: 1000
12	15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान करने और नवीनीकरण के लिए किसी वाहन का परीक्षण करना	क) मोटर साइकिल – (ख) तिपहिया या हल्के मोटरयान या क्वाड्रीसाइकल – (ग) मध्यम माल / यात्री मोटरयान— (ग) भारी माल / यात्री मोटर यान—	हस्तचालित: 400 स्वचालित: 500 हस्तचालित: 800 स्वचालित: 1000 हस्तचालित: 800 स्वचालित: 1300 हस्तचालित: 1000 स्वचालित: 1500
13	मोटरयानों की फिटनेस के लिए प्रमाण पत्र अनुदत्त करना या उसका नवीकरण करना	200	
14	15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान या नवीनीकरण	क) मोटर साइकिल – (ख) तीन पहियों वाले या क्वाड्रीसाइकल— (ग) हल्के मोटर यान— (घ) मध्यम माल / यात्री मोटरयान— (ड) भारी माल / यात्री मोटर यान—	1000 3500 7500 10000 12500
15	प्रदूषण प्रमाण पत्र		100
16	परमिट जारी, नवीनीकरण एवं प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए	1 मंजिली गाड़ी के लिए 2 मालयान के लिए 3 ठेका गाड़ी के लिए 4 निजी सेवायान के लिए 5 मैक्सी (बड़ी टैक्सी) एक सम्भाग के लिए	5800 5800 7200 3600 1800

		6 मैक्सी (बड़ी टैक्सी) सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के लिए	3600
		7 टैक्सी एक सम्भाग के लिए	900
		8 टैक्सी सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के लिए	1800
		9 टैक्सी सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए	3000
		10 परमिट धारक की मृत्यु की दशा में	उपरोक्त विनिर्दिष्ट फीस की आधी
17	विशेष अस्थाई परमिट	1 प्रथम तीन दिन के लिए	360
		2 तीन दिन के पश्चात सप्ताह के अन्त तक	360
		3 प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिए	360
18	परमिट का हस्तांतरण	1 मंजिली गाड़ी के लिए	7200
		2 मालयान के लिए	600
		3 मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिए	7200

सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाएं

- परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के पंजीयन एवं लाईसेन्स से सम्बन्धित 43 सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। जनसामान्य को नियत समय में सेवायें उपलब्ध कराये जाने, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम, सेवाये प्रदान करने की समय—सीमा का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी नाम पदनाम	सेवा प्रदान करने की संशोधित/न्यूनतम समय—सीमा (दिवस)	सेवा का माध्यम (ऑनलाइन/ऑफलाइन)	
1	2	3	4	5	
1	चालक अनुज्ञाप्ति की प्रति जारी करना।	संभागीय अधिकारी, संभागीय अधिकारी	परिवहन सहायक परिवहन	07	ऑनलाइन (बायोमैट्रिक प्रमाणिकता हेतु ऑफलाइन)
2	चालक अनुज्ञाप्ति की प्रमाणित प्रति जारी करना।		—तदैव—	05	ऑनलाइन
3	चालक अनुज्ञाप्ति के स्मार्ट कार्ड में परिवर्तन		—तदैव—	07	ऑनलाइन (बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु ऑफलाइन)
4	अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञाप्ति जारी किया जाना।		—तदैव—	07	ऑनलाइन (बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु ऑफलाइन)
5	चालक अनुज्ञाप्ति का नवीनीकरण।		—तदैव—	07	ऑनलाइन (बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु ऑफलाइन)
6	प्रशिक्षार्थी चालक अनुज्ञाप्ति की द्वितीय प्रति जारी करना।		—तदैव—	05	ऑनलाइन

7	पूर्व में जारी चालक अनुज्ञाप्ति में नयी वाहन श्रेणी का संयोजन किया जाना।	—तदैव—	05	ऑनलाइन (बायोमैट्रिक प्रमाणिकता हेतु ऑफलाइन)
8	चालक अनुज्ञाप्ति में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना।	—तदैव—	05	ऑनलाइन (बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु ऑफलाइन)
9	अन्य राज्यों के चालक अनुज्ञाप्ति में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना।	—तदैव—	07	ऑनलाइन (बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु ऑफलाइन)
10	शिक्षार्थी चालक अनुज्ञाप्ति में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना।	—तदैव—	05	ऑनलाइन
11	परिचालक अनुज्ञाप्ति जारी करना।	—तदैव—	07	ऑनलाइन (बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु ऑफलाइन)
12	परिचालक अनुज्ञाप्ति की द्वितीय प्रति जारी करना।	—तदैव—	05	ऑनलाइन (बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु ऑफलाइन)
13	परिचालक अनुज्ञाप्ति में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना।	—तदैव—	05	ऑनलाइन (बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु ऑफलाइन)
14	परिचालक अनुज्ञाप्ति का नवीनीकरण।	—तदैव—	05	ऑनलाइन (बायोमैट्रिक प्रमाणिकता हेतु ऑफलाइन)
15	अस्थायी पंजीयन	—तदैव—	03	ऑफलाइन
16	वाहनों का स्थाई पंजीयन (गैर परिवहन यान)			
	(अ)— पंजीयन चिन्ह जारी करना।	—तदैव—	07	ऑनलाइन
	(ब)—एच०एस०आर०पी० लगवाने के पश्चात् पंजीयन प्रमाण—पत्र जारी करना।	—तदैव—	03	ऑनलाइन
17	वाहनों का स्थाई पंजीयन (परिवहन यान)			
	(अ)—वी०एल०टी०डी० का वाहन के साथ इटीग्रेशन	—तदैव—	05	ऑनलाइन
	(ब)—पंजीयन चिन्ह जारी करना	—तदैव—	02	ऑनलाइन
	(स)—एच०एस०आर०पी० लगवाने के बाद पंजीयन क्रमांक जारी करना	—तदैव—	03	ऑनलाइन
18	पंजीयन प्रमाण—पत्र में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना।			
	(अ)—राज्य में पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में।	—तदैव—	07	ऑनलाइन
	(ब)—अन्य राज्यों के पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में।	—तदैव—	35	ऑनलाइन
19	पंजीयन प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण।	—तदैव—	07	ऑनलाइन (वाहन का निरीक्षण भौतिक रूप से)

20	पंजीयन प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति जारी करना।	—तदैव—	05	ऑनलाइन
21	पंजीयन का परिवहन यान से निजी यान में अन्तरण	—तदैव—	15	ऑफलाइन (वाहन का निरीक्षण भौतिक रूप से)
22	पंजीयन का निजी यान से परिवहन यान में अन्तरण	—तदैव—	15	ऑनलाइन (वाहन का निरीक्षण भौतिक रूप से)
23	परिवहन वाहनों के पंजीयन की द्वितीय प्रति जारी करना।	—तदैव—	07	ऑनलाइन
24	गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन की द्वितीय प्रति जारी करना।	—तदैव—	07	ऑनलाइन
25	पंजीयन प्रमाण—पत्र का निरस्तीकरण।	—तदैव—	15	ऑफलाइन
26	कर भुगतान प्रमाण पत्र	—तदैव—	03	ऑनलाइन
27	अवक्य पट्टा या आडमान करार (एच०पी०ए०) दर्ज करना।	—तदैव—	05	ऑनलाइन
28	अवक्य पट्टा या आडमान करार (एच०पी०ए०) निरस्त करना।	—तदैव—	10	ऑनलाइन
29	अन्य राज्य से हस्तांतरित वाहनों को पंजीयन चिन्ह का समानुदेशन	—तदैव—	05	ऑनलाइन
30	स्वामित्व हस्तांतरण (राज्य में पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में)	—तदैव—	07	ऑनलाइन
31	स्वामित्व हस्तांतरण (अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में)	—तदैव—	35	ऑनलाइन
32	नीलामी द्वारा खरीदे गये वाहनों का स्वामित्व का हस्तान्तरण किया जाना।	—तदैव—	30	ऑफलाइन
33	वाहनों के स्वरूप में परिवर्तन सम्बन्धी मामला	—तदैव—	10	ऑनलाइन
34	वाहनों के फिटनेस प्रमाण—पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	—तदैव—	03	ऑनलाइन
35	फिटनेस प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण करना।	—तदैव—	03	ऑनलाइन
36	वाणिज्यिक प्रमाण—पत्र (Trade registration) को निर्गत किया जाना।	—तदैव—	30	ऑफलाइन
37	मार्ग परमिट की सत्यापित प्रति दिया जाना।	—तदैव—	05	ऑनलाइन
38	राष्ट्रीय परमिटों की द्वितीय प्रति जारी करना।	—तदैव—	03	ऑनलाइन
39	राष्ट्रीय परमिट का नवीनीकरण किया जाना।	—तदैव—	07	ऑनलाइन
40	विशेष परमिटों का दिया जाना।	—तदैव—	02	ऑफलाइन
41	माल वाहक वाहनों को परमिट दिया जाना।	—तदैव—	07	ऑनलाइन
42	फावर्डिंग एजेन्सी, कमीशन एजेन्ट, ट्रांसपोर्ट एजेन्ट का लाईसेन्स जारी किया जाना।	—तदैव—	30	ऑफलाइन

43	वाहनों का अभ्यर्पण /दुर्घटना ग्रस्त वाहनों का जांच प्रतिवेदन	—तदैव—	07	ऑनलाइन
----	---	--------	----	--------

- उक्त 43 सेवाओं हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सुधांशु गर्ग, उप परिवहन आयुक्त एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी श्री सनत कुमार सिंह, संयुक्त परिवहन आयुक्त को नामित किया गया है।
- सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
- सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन—पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।

विभाग द्वारा संचालित पोर्टल तथा प्रदत्त आनलाइन सेवाएं

1. सारथी पोर्टल (<https://sarathi.parivahan.gov.in>)

● सेवाएं

1	चालक अनुज्ञाप्ति की प्रति जारी करना।
2	चालक अनुज्ञाप्ति की प्रमाणित प्रति जारी करना।
3	चालक अनुज्ञाप्ति के स्मार्ट कार्ड में परिवर्तन
4	अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञाप्ति जारी किया जाना।
5	चालक अनुज्ञाप्ति का नवीनीकरण।
6	प्रशिक्षार्थी चालक अनुज्ञाप्ति की द्वितीय प्रति जारी करना।
7	पूर्व में जारी चालक अनुज्ञाप्ति में नयी वाहन श्रेणी का संयोजन किया जाना।
8	चालक अनुज्ञाप्ति में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना।
9	अन्य राज्यों के चालक अनुज्ञाप्ति में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना।
10	शिक्षार्थी चालक अनुज्ञाप्ति में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना।
11	परिचालक अनुज्ञाप्ति जारी करना।
12	परिचालक अनुज्ञाप्ति की द्वितीय प्रति जारी करना।
13	परिचालक अनुज्ञाप्ति में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना।
14	परिचालक अनुज्ञाप्ति का नवीनीकरण।

2. वाहन पोर्टल (<https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice>)

● सेवाएं

1	वाहनों का स्थाई पंजीयन (गैर परिवहन यान) (अ)— पंजीयन चिन्ह जारी करना। (ब)—एच०एस०आर०पी० लगवाने के पश्चात् पंजीयन प्रमाण—पत्र जारी करना।
2	वाहनों का स्थाई पंजीयन (परिवहन यान) (अ)—वी०एल०टी०डी० का वाहन के साथ इंटीग्रेशन (ब)—पंजीयन चिन्ह जारी करना (स)—एच०एस०आर०पी० लगवाने के बाद पंजीयन क्रमांक जारी करना
3	पंजीयन प्रमाण—पत्रमें पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना। (अ)—राज्य में पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में। (ब)—अन्य राज्यों के पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में।
4	पंजीयन प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण।
5	पंजीयन प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति जारी करना।

6	पंजीयन का परिवहन यान से निजी यान में अन्तरण
7	परिवहन वाहनों के पंजीयन की द्वितीय प्रति जारी करना।
8	गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन की द्वितीय प्रति जारी करना।
9	कर भुगतान प्रमाण पत्र
10	अवक्रय पट्टा या आडमान करार (एच०पी०ए०) दर्ज करना।
11	अवक्रय पट्टा या आडमान करार (एच०पी०ए०) निरस्त करना।
12	अन्य राज्य से हस्तांतरित वाहनों को पंजीयन चिंह का समानुदेशन
13	स्वामित्व हस्तांतरण (राज्य में पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में)
14	स्वामित्व हस्तांतरण (अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में)
15	वाहनों के स्वरूप में परिवर्तन सम्बन्धी मामला
16	वाहनों के फिटनेस प्रमाण—पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना
17	फिटनेस प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण करना।
18	मार्ग परमिट की सत्यापित प्रति दिया जाना।
19	राष्ट्रीय परमिटों की द्वितीय प्रति जारी करना।
20	राष्ट्रीय परमिट का नवीनीकरण किया जाना।
21	वाहनों का अभ्यर्पण / दुर्घटना ग्रस्त वाहनों का जांच प्रतिवेदन
22	माल वाहक वाहनों को परमिट दिया जाना।

3. वी०एल०टी० पोर्टल (<https://vlt.uk.gov.in>)

वाहनों की ऑनलाईन ट्रैकिंग हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय, सहस्त्रधारा रोड, कुल्हान, देहरादून में कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेंटर की स्थापना की गयी है, जहाँ से वाहनों की लोकेशन ट्रैकिंग एवं आपातकालीन अलर्ट की देख—रेख की जाती है। आपातकालीन अलर्ट्स पर प्रभावी कार्यवाही हेतु NERS112 के साथ इंटीग्रेशन किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त अलर्ट्स पर पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में वीएलटी पोर्टल पर मुख्यतः 09 अलर्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। इस परियोजना के फलस्वरूप वाहन चालकों के ड्राइविंग बिहेवियर की जांच आसानी से की जा सकेगी जिससे वाहन दुर्घटनाओं को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त वाहन में किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर पुलिस विभाग के माध्यम से त्वरित सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी।

4. ग्रीन कार्ड पोर्टल (<https://greencard.uk.gov.in>)

क. ग्रीनकार्ड

चारधाम यात्रा के अन्तर्गत वाहनों के सुचारू एवं सफल संचालन के दृष्टिगत वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किये जाते हैं। ग्रीनकार्ड में वाहन सम्बन्धी समस्त सूचनाएं (यथा—टैक्स/परमिट/फिटनेस/बीमा आदि की वैधता) उपलब्ध होती है तथा वाहन चालक को उक्त प्रपत्र के आधार पर ही चारधाम यात्रा में संचालन किये जाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत किया जाता है। ग्रीनकार्ड हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाता है तथा वाहन के भौतिक निरीक्षण में सफल पाये जाने के उपरान्त परिवहन अधिकारी द्वारा आवेदन को अनुमोदित किया जाता है। आवेदक द्वारा स्वयं कहीं से भी कभी भी ग्रीनकार्ड का प्रिन्ट ऑनलाईन प्राप्त किया जा सकता है।

ख. ट्रिप कार्ड

ग्रीनकार्ड प्राप्त करने के उपरान्त वाहन स्वामी द्वारा यात्रा ट्रिपकार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वाहन चालक एवं यात्रियों की जानकारी ऑनलाइन भरी जाती है। उक्त जानकारी भरने के उपरान्त आवेदन को ऑनलाइन संरक्षित किया जाता है तथा ट्रिपकार्ड का प्रिंट आवेदक द्वारा स्वयं कभी भी कहीं से भी ऑनलाईन प्राप्त किया जा सकता है। चारधाम यात्रा के अन्तर्गत वाहन की चैकिंग होने पर परिवहन अधिकारी के निर्देशानुसार ट्रिप कार्ड को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है।

5. आनलाईन प्रशमन शुल्क (<https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan>)

राज्य में ई—चालान सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी चालान ऑनलाईन किये जा रहे हैं। उक्त सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत चालान का प्रशमन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

आनलाईन सेवाओं हेतु कार्य प्रवाह (work flow)

विभागीय वैबसाइट www.transport.uk.gov.in

Official Website of
STATE TRANSPORT DEPARTMENT
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

Home | History | Acts & Rules | Organization | GO's | Guidelines | Offences and Penalties | RTI | Proactive Disclosures | Contact us

Search within website

e-Services: [Online Tax Payment](#) and [Online Checkpost](#)
IDTR, Dehradun is authorized for Training of Drivers Carrying Hazardous/Dangerous Goods

Welcome To Official Website Of State Transport Department Uttarakhand

HAR GHAR TIRANGA
13th - 15th August 2022

The Transport Department was constituted in 1945 under the provisions of Section 133 A of the Motor Vehicles' Act 1939. Headed by the Transport Commissioner U.P. when Uttarakhand was a part of U.P. before 9th day of November 2000 i.e. the date of reorganization of U.P. As Uttarakhand State came into existence along with the Transport Department of Uttarakhand, headed by the Transport Commissioner, Uttarakhand.

The other main constituent of the Transport system is State Road Transport Corporation (SRTC), which has also been reorganized in Uttarakhand as "Uttarakhand Transport Corporation". The Corporation of Uttarakhand began to work on 31 October 2003 and is providing services on nationalized routes as well as on interstate routes.

[read more...](#)

Others

- Registration
- Licence
- Permit
- Fees Structure
- Tax Structure
- STA Minutes
- RTA Minutes

Chardham Yatra

Road safety

Uttarakhand Transport Corporation(UTC)

Online Volvo Bus Booking

Driving Training Institutes

Uttarakhand Right to Service

Handbook for Drivers

Pollution Control Norms

Do's and Don'ts for Char Dham Yatra

Pollution Checking Centre


Employee Corner

HSRP


Download

वाहन सम्बन्धित ऑनलाइन सेवायें


(1) वाहन स्वामी का मोबाइल नम्बर अपडेशन



(2) वाहन का स्वामित्व अन्तरण




(3) वाहन स्वामी के पते में परिवर्तन




नोट :—उपरोक्त दोनों आवेदनों हेतु कार्यालय स्तर पर आवेदन के वेरिफिकेशन एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्यालय से वाहन की नयी पंजिका पुस्तिका प्राप्त करें।

(4) पंजिका पुस्तिका की द्वितीय प्रति




(5) एचपीए (ऋण पृष्ठांकन/निरस्तीकरण/कन्टीन्यूएशन)




नोट :—उपरोक्त दोनों आवेदनों हेतु कार्यालय स्तर पर आवेदन के वेरिफिकेशन एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्यालय से वाहन की नयी पंजिका पुस्तिका प्राप्त करें।

(6) व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस नवीनीकरण/द्वितीय प्रति




नोट:— कार्यालय स्तर पर आवेदन के वेरिफिकेशन एवं अनुमोदन के उपरान्त आवेदक स्तर पर फिटनेस प्रमाणपत्र प्रिंट करें।

(7) मोटरयान का शुल्क भुगतान




(8) अन्य राज्य/संभाग हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र




नोट :—उपरोक्त आवेदन हेतु कार्यालय स्तर पर आवेदन के वेरिफिकेशन एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

(9) वाहन में परिवर्तन




नोट :-उपरोक्त आवेदन हेतु कार्यालय स्तर पर आवेदन के वेरिफिकेशन एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्यालय से वाहन की नयी पंजिका पुस्तिका प्राप्त करें।

(10) वाहन का ब्योरा (पर्टिकुलर)




नोट:- उपरोक्त आवेदन के उपरान्त आवेदक स्तर पर वाहन के ब्योरे का प्रिंट निकाल लें।

(11) नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र का नवीनीकरण




नोट :-उपरोक्त आवेदन हेतु कार्यालय स्तर पर आवेदन के वेरिफिकेशन एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्यालय से वाहन की नयी पंजिका पुस्तिका प्राप्त करें।

(12) पंजीयन प्रमाणपत्र का समर्पण (सरेण्डर)




परमिट सम्बन्धी कार्यो हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

(1) नए परमिट एवं परमिट नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया




नोट :—उपरोक्त आवेदन हेतु कार्यालय स्तर पर आवेदन के वेरिफिकेशन एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्यालय से / आवेदक स्तर पर परमिट का प्रिंट प्राप्त करें।

(2) अधिकार पत्र नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया




नोट :—ऑनलाइन शुल्क को सफलतापूर्वक जमा करने के उपरान्त आवेदक स्तर पर अधिकार पत्र का प्रिंट प्राप्त करें।

(3) अस्थायी परमिट एवं डुप्लिकेट परमिट हेतु प्रक्रिया



नोट :-उपरोक्त आवेदन हेतु कार्यालय स्तर पर आवेदन के वेरिफिकेशन एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्यालय से आवेदक स्तर पर अस्थायी / डुप्लिकेट परमिट का प्रिंट प्राप्त करें।


(4) परमिट समर्पण (वाहन प्रतिस्थापन/स्वामित्व हस्तांतरण/निरस्तीकरण) हेतु प्रक्रिया




नोट :-उपरोक्त आवेदन हेतु कार्यालय स्तर पर आवेदन के वेरिफिकेशन एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्यालय से / आवेदक स्तर पर परमिट समर्पण (वाहन प्रतिस्थापन/स्वामित्व हस्तांतरण/निरस्तीकरण) की पावती का प्रिंट प्राप्त करें।

चालक / परिचालक लाईसेन्स सम्बन्धी कार्यो हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया


(1) शिक्षार्थी (लार्निंग) लाईसेन्स हेतु प्रक्रिया



(2) चालक (ड्राइविंग) लाईसेन्स हेतु प्रक्रिया



(3) कंडक्टर (परिचालक) लाईसेन्स हेतु प्रक्रिया




लाइसेन्स सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

सारथी पोर्टल


- 1. Renewal Of DL**
- 3. Additional Endorsement To DL**
- 5. Change Of Address In DL**
- 7. Replacement Of DL**
- 9. Endorsement To Drive Hazardous Material**
- 11. DL Extract**
- 13. Issue International Driving Permit**
- 15. AeDL For Defence DL Holder**
- 2. Issue Of Duplicate DL**
- 4. Issue Of Psv Badge To A Driver**
- 6. Change Of Name In DL**
- 8. Change Of Biometrics In DL**
- 10. Endorsement To Drive In Hill Region**
- 12. Issue Of Noc**
- 14. Cancellation Of Noc**
- 16. Surrender Of Cov(s)/Psv Badge(s)**
- 17. Cov Conversion (Applicable Only In Some States)**

(1) लाईसेन्स सम्बन्धी अन्य कार्य




आकर्षक पंजीयन नम्बर की ऑनलाइन बुकिंग / नीलामी हेतु प्रक्रिया


(1) आकर्षक पंजीयन संख्या की ऑनलाइन बुकिंग



(2) आकर्षक पंजीयन संख्या की ऑनलाइन नीलामी




अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले व्यवसायिक मोटरयानों का कर भुगतान हेतु प्रक्रिया




नोट:-कार्य प्रवाह (work flow) की अद्यतन स्थिति समय-समय पर विभागीय वैबसाइट www.transport.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

चालान के ऑनलाइन प्रशमन हेतु प्रक्रिया




नोट:-चालान के समय यदि वाहन के प्रपत्र परिवहन अधिकारी द्वारा जमा किये गए हैं, तो ऐसी स्थिति में चालान के प्रशमन हेतु परिवहन कार्यालय में संपर्क करें।

ग्रीन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया



ट्रिप कार्ड आवेदन की प्रक्रिया



धन्यवाद

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

कार्यालय परिवहन आयुक्त, कुल्हान सहस्रधारा रोड, देहरादून।
दूरभाष: 0135.2607906, ई-मेल: transportdeptuk@gmail.com